वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

पत्र संख्या- 101/2025 दिनांक- 18.03.2025

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने के क्रम में आज दिनांक-18.03.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी है-

थाना सरायमीरः-अवैध तमंचा, कारतूस व चोरी की मोटरसाइकिल के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार

गिरफ्तारी का विवरणः-

दिनांक 17/03/2025 को व0उ0नि0 योगेन्द्र कुमार मय हमराह द्वारा संदिग्ध वाहन/व्यक्ति चेकिंग के दौरान संजरपुर छाऊ मोड़ से मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त कुन्दन पुत्र रामकेवल ग्राम संजरपुर हरिजन बस्ती, थाना सरायमीर जिला आजमगढ़ को एक अदद मोटरसाइकिल, एक अदद तमंचा .315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .315 के साथ पकड़ा गया। पकड़े गये व्यक्ति के कब्जे से बरामद मोटर साइकिल सुपर स्पलेण्डर के नम्बर प्लेट को देखा गया तो नं0 प्लेट पर यू0पी0 54 एजे 6781 अंकित हैं, जिसे चेक करने पर इंजन नं0 व चेचिज नं0 सही पाया गया तथा उक्त मोटर साइकिल के सम्बन्ध में थाना कोतवाली जनपद मऊ से सम्पर्क करने पर वाहन के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 344/24 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत होना पाया गया हैं। पकड़े गये व्यक्ति कुन्दन उपरोक्त का यह कार्य अन्तर्गत धारा 3/25 शस्त्र अधि0 धारा 317(2)/317(5) BNS का दण्डनीय अपराध बताकर समय करीब 20.41 बजे बरामद शुदा माल को कब्जा पुलिस व गिरफ्तार शुदा अभियुक्त को हिरासत पुलिस में लिया गया तथा गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

1.मु0अ0सं0 97/2025 धारा 3/25 शस्त्र थाना सरायमीर आजमगढ़।

2.मु0अ0सं0 98/2025 धारा 317(2)/317(5) BNS थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

बरामदगी -

1-एक अदद तमन्चा .315 बोर व एक एक अदद कारतूस .315 बोर।

2-01 अदद चोरी की बाईक।

आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 16/2018 धारा 279, 304-A, 337, 338 भा0द0वि0 थाना अतरौलिया आजमगढ़।

2.मु0अ0सं0 249/2010 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

3.मु0अ0सं0 178/2019 धारा 279, 304-A, 427 थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़।

4.मु0अ0सं0 97/2025 धारा 3/25 शस्त्र थाना सरायमीर आजमगढ़।

5.मु0अ0सं0 98/2025 धारा 317(2)/317(5) BNS थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

6.मु0अ0सं0 344/24 धारा 303(2) BNS थाना कोतवाली जनपद मऊ।

7.मु0अ0सं0 133/2019 धारा 4/25 शस्त्र अधि0, 3/5ए/8 गोवध अधि0, 11 पशु क्रूरता तथा 304ए भा0द0वि0 थाना अकबरपुर जनपद अम्बेडकर नगर।

थाना दीदारगंजः-नाबालिक लड़की के साथ छेड़खानी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटनाः-

दिनांक 16.03.2025 को वादी द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि मेरी नाबालिक पुत्री के साथ अभियुक्त फरीद पुत्र याकुब निवासी बीबीगंज थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा छेडछाड किया गया है, जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 72/25 धारा 75 बीएनएस व 9(m)/10 पाक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरणः-

आज दिनांक 18.3.2025 को मैं उ0नि0 करमुल्ला अली मय हमराह मैं उ0नि0 मय हमराह थाना हाजा से रवाना होकर देखभाल क्षेत्र चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन करते हुये कस्बा राजापुर मे मौजूद था कि जरिये मुखबीर खास सूचना मिली की मु0अ0सं0 72/25 धारा 75 बीएनएस व 9(एम)/10 पास्को एक्ट से सम्बन्धित वांछितअभियुक्त फरीद पुत्र याकुब निवासी बीबीगंज थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ उम्र 70 वर्ष हुब्बीगंज बाजार से समय करीब 09.15 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0न्यायालय किया गया।

थाना- मेंहनगरः-गैंगेस्टर एक्ट में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरणः-

दिनांक 28.02.2025 को श्रीमान् जिलाधिकारी महोदय आजमगढ़ के द्वारा अनुमोदित शुदा गैंगचार्ट के बाबत प्र0नि0 तरवा कमलेश कुमार पटेल की तहरीरी सूचना के आधार पर थाना तरवा पर पर मु0अ0सं0 40/2025 धारा 2(ख)(1)/3(1) गैंगेस्टर एक्ट बनाम अभियुक्तगण 1.संजय राजभर पुत्र जयप्रकाश राजभर 2- सूरज राजभर पुत्र जमुना राजभर 3-दुर्गेश राजभर उर्फ किशन पुत्र बबलू राजभर निवासीगण ग्राम उँचहुआ थाना तरवाँ जनपद आजमगढ। के विरुद्ध पंजीकृत होकर विवेचना प्र0नि0 मेंहनगर द्वारा संपादित की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरणः-

आज दिनांक 18.03.25 को प्रभारी निरीक्षक अनुराग कुमार मय द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर मु0अ0सं0 40/2025 धारा 2(ख)(1)/3(1) गैंगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्तगण 1.संजय राजभर पुत्र जयप्रकाश राजभर, 2.सूरज राज पुत्र जमुना राजभर निवासीगण ग्राम उँचहुआ थाना तरवाँ जनपद आजमगढ को समय 11.10 बजे अभियुक्तगण को गोपालपुर बाजार से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

1.संजय राजभर पुत्र जयप्रकाश राजभर।

2.सूरज राज पुत्र जमुना राजभर निवासीगण ग्राम उँचहुआ थाना तरवाँ जनपद आजमगढ।

पंजीकृत अभियोगः –

1.मु0अ0सं0 40/2025 धारा 2(ख)(1)/3(1) गैंगेस्टर एक्ट थाना तरवां, आजमगढ़

आपराधिक इतिहासः –

1.मु0अ0सं0 137/2024 धारा 379/411 भादवि थाना तरवा जनपद आजमगढ़

***थाना पवईः-अवैध तमंचा व कारतूस के साथ टॉप टेन अपराधी गिरफ्तार**

गिरफ्तारी का विवरणः-

आज दिनांक 18.03.25 को उ0नि0 श्री मनीष मिश्रा मय हमराह द्वारा थाना स्थानीय पर टापटेन अपराधी शैलेन्द्र पासवान पुत्र रत्तीलाल सा0 कछरा थाना पवई जनपद आजमगढ को पवई अहिराना मार्ग से समय करीब 05.33 बजे एक अदद नाजायज कट्टा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त का चालान न्यायालय जा रहा है।

पंजीकृत अभियोगः-

1.मु0अ0सं0 96/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना पवई जनपद आजमगढ

आपराधिक इतिहासः-

1.मु०अ०सं० 212/2012, धारा 392 व 411 भा०द०वि०, थाना दीदारगंज, आजमगढ़।
2- मु०अ०सं० 393/2012, धारा 3 (1) यू०पी० गैंगेस्टर एक्ट, थाना दीदारगंज, आजमगढ़।
3- मु०अ०सं० 224/2012, धारा 379 व 411 मा०द०वि०, थाना बरदह, आजमगढ़।
4- मु०अ०सं० 20/2014, धारा 60 आब०अधि०, थाना पवई, आजमगढ़। -
5.मु०अ०सं० 22/2016, घारा 25/54/59 आर्म्स एक्ट, थाना जीआरपी
6 - मु०अ०सं० 158/2015, धारा 110 सी०आर०पी०सी०, थाना पवई, आजमगढ़।
7- मु०अ०सं० 07/2017, धारा 397, 341, 41 व 412 भा०द०वि०, थाना कादीपुर
8- मु०अ०सं० 11/2017, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना कादीपुर
9- मु०अ०सं० 204/2020, घारा 307 भा०द०वि०, थाना दीदारगंज, आजमगढ़।
10- मु०अ०सं० 205/2020, घारा 3/25 आर्म्स एक्ट, धान्ना दीधारगंज, आजमगढ़।
11- मु०अ०सं० 120/2021, धारा 110 सी०आर०पी०सी०, थाना पवई, आजमगढ़।
12- मु०अ०सं० 127/2002, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना फूलपुर, आजमगढ़।
13- मु०अ०सं० 189/2022, धारा 457, 380 व 511 भा०द०वि०, थाना पवई आजमगढ़
14.मु0अ0सं0 309/24 धारा 10 उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम थाना पवई आजमगढ़

थाना-बरदहः-अवैध तमन्चा, रिवाल्वर, पिस्टल व कारतूस के साथ पांच अभियुक्त गिरफ्तार

गिरफ्तारी का विवरण–

आज दिनांक 18.03.2025 उ0नि0 कुलदीप कुमार मय हमराह द्वारा चौकी ठेकमा से प्रस्थान कर तलाश वाछिंत/वारन्टी में ठेकमा बाजार में मौजूद था कि जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि कुछ लड़कों का गिरोह है जो नाजायज असलहा खरीद कर बेचते है तथा लेकर चलते है, वह आज बौवापार मेन सड़क तिराहे पर इकठ्ठा होने वाले है और वही से ग्राहको से सम्पर्क कर नाजायज असलहे को बेचने वाले है। इस सूचना पर विश्वास कर थाने से दूसरी टीम उ0नि0 उमेश चन्द यादव से सम्पर्क कर ठेकमा बाजार पहुचने को बताया कुछ समय बाद उ0नि0 उमेश चन्द यादव मय हमराह का0 विद्याकान्त , का0 ललित सरोज , का0 त्रिलोक नाथ पाण्डेय , का0 सन्दीप यादव अपने अपने मोटर साइकल से ठेकमा बाजार आये, सभी पुलिस बल मुखबिर खास को साथ लेकर अपने-अपने उपलब्ध मोटरसाइकिलों से बौवापार की तरफ चल दिये , बौवापार तिराहे से पहले मोटर साइकिलो को रोककर खडा किया गया। मुखबिर खास तिराहे पर खडे लडको की तरफ इशारा कर हट बढ गया कि हम पुलिस बल सिखलाये गये तरिको से अपने आप को छिपते-छिपाते हुए , तिराहे के चारो तरफ से घेरा करते हुए उन खडे लडको के पास एकाएक पहुचे कि हम पुलिस वालो को देख भागना चाहे कि मौजूद पुलिस बल की मदद से पांच लडको को मौके पर पकड लिया गया। पकडे गये व्यक्तियो से नाम पता पूछते हुए भागने का कारण पूछा गया तो क्रमशः पहले लडके ने अपना नाम रवि कुमार बिन्द पुत्र चन्द्रजीत बिन्द निवासी ग्राम बस्ती कपूरी थाना दीदारगंज ,जनपद आजमगढ उम्र 20 वर्ष बताया , जिसके कब्जे से एक अदद रिवाल्वर 32 बोर जिसे सेफ्टी प्रिकार्सन हेतु खोल कर देखा गया तो रिवाल्वर के सिलेण्डर में एक अदद जिन्दा कारतूस 32 बोर पाया गया। दूसरे ने अपना नाम अर्पित राय उर्फ समर्थ राय पुत्र सुनील राय निवासी ग्राम सोहौली थाना बरदह , जनपद आजमगढ उम्र 20 वर्ष बताया। जिसके कब्जे से एक अदद पिस्टल 32 बोर बरामद हुआ। तीसरे व्यक्ति ने अपना नाम हिमांशु कन्नौजिया पुत्र अखिलेश कन्नौजिया निवासी ग्राम गम्भीरपुर थाना गम्भीरपुर , जिला आजमगढ उम्र 20 वर्ष बताया। जिसके कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर खुसा बरामद हुआ चौथे व्यक्ति ने पूछने पर अपना नाम करन बिन्द पुत्र चन्द्रेश बिन्द निवासी ग्राम गम्भीरपुर (बैराडीह) थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ उम्र 20 वर्ष बताया। जिसके कब्जे से 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। पाचवे ने अपना नाम अशोक बिन्द पुत्र जिया लाल बिन्द ग्राम गम्भीरपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ उम्र 23 वर्ष बताया। जिसके कब्जे से एक अदद तमंचा 12 बोर व पहने हुए पैन्ट के दाहिने जेब से एक अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर पकडे गये व्यक्तियो से असलहा रखने के सम्बन्ध में वैध पत्र मागा गया तो दिखाने से कासिर रहे और अपनी गलती की माफी मांगने लगे। पकडे गये व्यक्तियो मे से अभि0गण 1. रवि 2. अर्पित राय उर्फ समर्थ राय 3. हिमांशु कन्नौजिया 4. करन बिन्द को उनके कृत्य धारा 9/25 आर्म्स एक्ट तथा 5. अशोक बिन्द को उसके कृत्य धारा 3/25 आर्म्स एक्ट से अवगत कराते हुए बौवापार तिराहे से समय करीब 00.20 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

1. रवि कुमार बिन्द पुत्र चन्द्रजीत बिन्द निवासी ग्राम बस्ती कपूरी थाना दीदारगंज ,जनपद आजमगढ
2. अर्पित राय उर्फ समर्थ राय पुत्र सुनील राय निवासी ग्राम सोहौली थाना बरदह , जनपद आजमगढ
3. हिमांशु कन्नौजिया पुत्र अखिलेश कन्नौजिया निवासी ग्राम गम्भीरपुर थाना गम्भीरपुर , जिला आजमगढ
4. करन बिन्द पुत्र चन्द्रेश बिन्द निवासी ग्राम गम्भीरपुर (बैराडीह) थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ
5. अशोक बिन्द पुत्र जिया लाल बिन्द ग्राम गम्भीरपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ

बरामदगी का विवरणः-

1. एक अदद रिवाल्वर 32 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 32 बोर (अभि0 रवि कुमार बिन्द)
2. एक अदद पिस्टल 32 बोर (अर्पित राय उर्फ समर्थ राय)
3. एक अदद तमन्चा 315 बोर (हिमांशु कन्नौजिया)
4. दो अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर (करन बिन्द)
5. एक अदद तमन्चा 12 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर (अशोक बिन्द)

पंजीकृत अभियोगः-

01. मु0अ0सं0 73/25 धारा 3/9/25 आर्म्स एक्ट थाना बरदह, आजमगढ़

आपराधिक इतिहासः-

1. रवि कुमार बिन्द पुत्र चन्द्रजीत बिन्द निवासी ग्राम बस्ती कपूरी थाना दीदारगंज ,जनपद आजमगढ

I. मु0अ0सं0 73/25 धारा 9/25 आर्म्स एक्ट थाना बरदह, आजमगढ़

2. अर्पित राय उर्फ समर्थ राय पुत्र सुनील राय निवासी ग्राम सोहौली थाना बरदह , जनपद आजमगढ

I. मु0अ0सं0 73/25 धारा 9/25 आर्म्स एक्ट थाना बरदह, आजमगढ़

II. मु0अ0सं0 351/24 धारा 115(2),351(2),352 BNS थाना बरदह, आजमगढ़

III. मु0अ0सं0 473/23 धारा 308,323,504,506 IPC थाना बरदह, आजमगढ़

3. हिमांशु कन्नौजिया पुत्र अखिलेश कन्नौजिया निवासी ग्राम गम्भीरपुर थाना गम्भीरपुर , जिला आजमगढ

I. मु0अ0सं0 73/25 धारा 9/25 आर्म्स एक्ट थाना बरदह, आजमगढ़

4. करन बिन्द पुत्र चन्द्रेश बिन्द निवासी ग्राम गम्भीरपुर (बैराडीह) थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ

I. मु0अ0सं0 73/25 धारा 9/25 आर्म्स एक्ट थाना बरदह, आजमगढ़

5. अशोक बिन्द पुत्र जिया लाल बिन्द ग्राम गम्भीरपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ

I. मु0अ0सं0 73/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बरदह, आजमगढ़

II. मु0अ0सं0 62/25 धारा 115(2),351(2),352 BNS थाना गम्भीरपुर, आजमगढ़

थाना-अहरौलाः-हत्या करने वाले 07 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना का विवरणः-

दिनांक 17.03.2025 को आवेदिका अंजनी पाण्डेय पत्नी सुनील पाण्डेय निवासी ग्राम भोगइचा थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि दिनांक 16.03.2025 को समय करीब शाम 5.30 बजे मेरे पति सुनील पाण्डेय घर से बाजार सामान लेने गये थे कि रास्ते मे जाते समय जब रामसकल पाण्डेय के दरवाजे के पास पहुंचे तो उनकी साइकिल की चैन उतर गई थी जिसे चढ़ा रहे थे तभी रामसकल व रामदरश पुत्रगण स्व0 राजाराम, रवि पाण्डेय, विशाल पाण्डेय, श्रवण पाण्डेय पुत्रगण रामसकल पाण्डेय व प्रियंका पुत्री रामशकल पाण्डेय व रामशकल की पत्नी व रामदरश की पत्नी कमलावती निवासीगण भोगईचा आये और मेरे पति को पकड़ कर घर के अन्दर ले गये मारा पीटा व कोई जहरीला पदार्थ खिला दिये जिससे मेरे पति के मुंह से झाग आ रहा था व नाक से खून आ रहा था जिन्हें जब अस्पताल ले जाया गया तो डाक्टर ने पति सुनील कुमार पाण्डेय उम्र 36 वर्ष को मृत घोषित कर दिया। आवेदिका की तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 110/2025 धारा 103(1)/3(5) बीएनएस बनाम 1. रामसकल 2. रामदरश पुत्रगण स्व राजाराम 3. रवि पाण्डेय 4. विशाल पाण्डेय 5. श्रवण पाण्डेय पुत्रगण रामसकल पाण्डेय 6. प्रियंका पुत्री रामशकल पाण्डेय 7. रामशकल की पत्नी नाम अज्ञात 8. कमलावती पत्नी रामदरश पाण्डेय निवासीगण भोगईचा थाना अहरौला आजमगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में मुकदमा उपरोक्त में धारा 123 बीएनएस की बढोत्तरी की गयी।

गिरफ्तारी का विवरणः-

आज दिनांक 18.03.2025 थानाध्यक्ष अनिल कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्तों 01. रामसकल पाण्डेय पुत्र स्व0 राजाराम पाण्डेय निवासी भोगईचा थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 55 वर्ष 02. रामदरश पाण्डेय पुत्र स्व0 राजाराम पाण्डेय निवासी भोगईचा थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 59 वर्ष 03. रवि पाण्डेय उर्फ टी0टी0 पुत्र रामसकल पाण्डेय निवासी भोगईचा थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 26 वर्ष 04. विशाल पाण्डेय पुत्र रामसकल पाण्डेय निवासी भोगईचा थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष 05. पांचवे ने अपना नाम प्रियंका पुत्री रामशकल पाण्डेय निवासी भोगईचा थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष 06. मंजू देवी पत्नी रामसकल निवासी भोगईचा थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 50 वर्ष 07. कमला देवी पत्नी रामदरश पाण्डेय निवासी भोगईचा थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 55 वर्ष को रेडहा मंदिर से समय करीब 12.30 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोगः-

मु0अ0सं0 110/2025 धारा 103(1)/3(5)/123 बीएनएस थाना अहरौला जनपद आजमगढ़।

अभियुक्त रामसकल पाण्डेय का आपराधिक इतिहासः-

1.मु0अ0सं0 058/2007 धारा 323/504/307 भादवि थाना अहरौला जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः-

01. रामसकल पाण्डेय पुत्र स्व0 राजाराम पाण्डेय निवासी भोगईचा थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 55 वर्ष
02. रामदरश पाण्डेय पुत्र स्व0 राजाराम पाण्डेय निवासी भोगईचा थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 59 वर्ष
03. रवि पाण्डेय उर्फ टी0टी0 पुत्र रामसकल पाण्डेय निवासी भोगईचा थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 26 वर्ष
04. विशाल पाण्डेय पुत्र रामसकल पाण्डेय निवासी भोगईचा थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष
05. प्रियंका पुत्री रामशकल पाण्डेय निवासी भोगईचा थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष
06. मंजू देवी पत्नी रामसकल निवासी भोगईचा थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 50 वर्ष
07. कमला देवी पत्नी रामदरश पाण्डेय निवासी भोगईचा थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 55 वर्ष

जनपद-आजमगढ़ः- से कुल 63 नफर वारण्टी गिरफ्तार

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरणः-

दिनांक 18/03/2025 श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना द्वारा माननीय न्यायालय से निर्गत वारण्ट में वारण्टियों की गिरफ्तारी के संबंध में अभियान चलाया गया जिसके क्रम में जनपद आजमगढ़ में कुल 59 वारण्टियों क्रमशः फूलपुर से 13, कंधरापुर से 08, महराजगंज से 06, देवगाँव से 05, निजामाबाद व जहानागंज से 04-04, मुबारकपुर से 03, रानी की सराय, जीयनपुर, कप्तानगंज, दीदारगंज,बिलरियागंज, कोतवाली, बरदह से 02-02 व सिधारी, रौनापार, तहबरपुर, सरायमीर,मेहनगर, मेंहनाजपुर से 01-01 नफर वारण्टियों की गिरफ्तारी की गयी। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।